प्रेस विज्ञप्ति
02.06.2026

ईडी ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के प्रमोटरों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) के प्रमोटर/निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व उनकी समूह संस्थाओं के विरुद्ध चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 01.06.2026 को गिरफ्तार किया है। आरोपित व्यक्तियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दिल्ली के समक्ष पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें पांच (05) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज पांच एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी अर्थ ग्रुप के प्रमोटरों/निदेशकों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

उक्त समूह ने **19,425 से अधिक घर खरीदारों और निवेशकों** से लगभग **2,004 करोड़ रुपये** एकत्र किए, और उन्हें आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी और सुनिश्चित रिटर्न का वादा किया। जांच में आगे यह भी पता चला कि लगभग **467 करोड़ रुपये** विभिन्न समूह संस्थाओं और संबंधित कंपनियों/व्यक्तियों के माध्यम से विपथित या गबन कर लिए गए। हालांकि, खरीदारों/निवेशकों से काफी धनराशि मिलने के बावजूद, परियोजनाओं को या तो अधूरा छोड़ दिया गया या इकाईयों का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदने वालों और निवेशकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ। जांच में आगे पता चला है कि अधिसूचित अपराधों से अर्जित आय का एक हिस्सा समूह के प्रमोटरों/निदेशकों से जुड़ी अलग-अलग संस्थाओं व व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने अप्रैल 2026 में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिल्ली-रा.रा.क्षे. में अर्थ समूह से जुड़ी अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली थी, जिसमें लगभग 6.30 करोड़ रुपये नगद, लगभग 8.78 करोड़ रुपये के आभूषण व 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अनुमानित मूल्य वाली 100 से अधिक अचल संपत्तियों के कागज़ात ज़ब्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।